

सं० सं०-५ बजट (1) 34/2023.....102...../मत्स्य/

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(मत्स्य प्रभाग)

अबुबकर सिद्दीख पी.,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित

महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची।

द्वारा -

वित्त विभाग (आन्तरिक वित्तीय सलाहकार)

राँची, दिनांक 29.01.25

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य योजनान्तर्गत “मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना” अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन के तहत कुल मो० 1434.798 लाख (चौदह करोड़ चौतीस लाख उनासी हजार आठ सौ) रुपये मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति।

प्रसंग:-

स्वीकृत्यादेश सं०-०५ दिनांक-13.06.2024 एवं आवंटनादेश सं०-25 दिनांक-19.06.2024

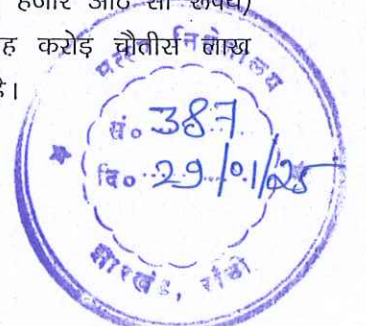
महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता (मत्स्य प्रभाग) द्वारा “मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना” के क्रियान्वयन हेतु निर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश सं० 05 रा० (वि०) दिनांक 13.06.2024 द्वारा रु. 1164.798 लाख (ग्यारह करोड़ चौसठ लाख उनासी हजार आठ सौ रुपये) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं आवंटनादेश सं०-25 दिनांक-19.06.2024 द्वारा उक्त स्वीकृत राशि निदेशक, मत्स्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची को आवंटित की गई है।

2. उक्त स्वीकृत्यादेश की कंडिका-6 (छ) के आलोक में परिशिष्ट-II में विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-29-व्यवसायिक सेवाएँ के अन्तर्गत सेवा शुल्क, तकनीकी सेवा शुल्क, बाह्य श्रोत से प्राप्त की जानेवाली PMU/Block chain technology जैसी अन्य सेवाएँ आदि के लिये कुल 80.00 लाख रु० की स्वीकृति प्रदान की गई है।

वर्तमान में मत्स्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2100 दिनांक-19.12.2024 से प्राप्त संशोधन प्रस्ताव द्वारा तीन वर्षों (वर्ष 2024-25 से 2026-27) के लिए “Setting up of PMU using Block chain Technology” योजना के कार्यान्वयन हेतु उक्त प्रावधानित 80.00 लाख रु० सहित कुल अनुमानित लागत राशि मो० 3,50,00,000/- (तीन करोड़ पचास लाख) रुपये GST सहित मात्र की स्वीकृति देने का अनुरोध किया गया है।

3. अतः उक्त के आलोक में तीन वर्षों (वर्ष 2024-25 से 2026-27) के लिए “Setting up of PMU using Block chain Technology” योजना के कार्यान्वयन हेतु उक्त प्रावधानित 80.00 लाख रु० सहित कुल अनुमानित लागत राशि मो० 3,50,00,000/- (तीन करोड़ पचास लाख) रुपये GST सहित मात्र की स्वीकृति प्रदान करते हुए विभागीय स्वीकृत्यादेश सं० 05 रा० (वि०) दिनांक 13.06.2024 द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति की राशि रु. 1164.798 लाख (ग्यारह करोड़ चौसठ लाख उनासी हजार आठ सौ रुपये) मात्र को पुनरीक्षित कर विषयांकित योजना हेतु कुल मो० 1434.798 लाख (चौदह करोड़ चौतीस लाख उनासी हजार आठ सौ) रुपये मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।



4. "Setting up of PMU using Block chain Technology" योजना के कार्यान्वयन हेतु राशि का व्यय माँग सं०-53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)-मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन-उप शीर्ष-20-मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-29-व्यवसायिक सेवाएँ के अन्तर्गत उपलब्ध बजट उपबंध के अधीन किया जायेगा। आवश्यकतानुसार अतिरिक्त राशि की स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।

5. उक्त निर्गत स्वीकृतिदेश सं० 05 रा० (वि०) दिनांक 13.06.2024 को इस हद तक संशोधित समझा जाय। शेष अन्य कंडिकाएँ यथावत रहेंगी।
6. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
7. स्वीकृतिदेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-5 बजट (1) 34/2023102.....

राँची, दिनांक-29.1.25....

प्रतिलिपि : महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/निदेशक, मत्स्य, झारखण्ड, राँची/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक (सभी)/प्रबंध निदेशक, झारकोफिश, राँची/जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी)/सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, राँची एवं मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-5 बजट (1) 34/2023102.....

राँची, दिनांक-29.1.25....

प्रतिलिपि : योजना-सह-विकास विभाग/आ० वि० सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त/माननीय विभागीय मंत्री के प्रधान आर्क्ष सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची के सचिव/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रधान आर्क्ष सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

246/1